7169
19.9.18

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

कृपया पढ़ें :–

1. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक–1271, दिनांक 15.03.2017 एवं पत्रांक–2751, दिनांक 31.05.2017
2. उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक–1221, दिनांक 21.10.2016 एवं पत्रांक–589, दिनांक 04.05.2017
3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–5465, दिनांक 18.04.2017, आदेश सं0–7314, दिनांक 19.06.2017 एवं संकल्प सं0–7449, दिनांक 22.06.2017
4. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–338, दिनांक 29.11.2017

श्री संजय कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला–हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुदड़ी, प0 सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1271, दिनांक 15.03.2017 के माध्यम से उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–1221, दिनांक 21.10.2016 द्वारा प्रपत्र–'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये:–

आरोप सं0–1– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी गुदड़ी के द्वारा बालूघाट निलामी से सारूगाढ़ा ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराई गई राशि का संबंधित मुखिया से मिलीभगत कर राशि दुरूपयोग, विचलन एवं गबन किया गया।

आरोप सं0–2– मनरेगा अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कम कार्य कराया जाना, मजदूरी भुगतान लंबित रखना, जॉबकार्ड सत्यापन में न्यूनतम उपलब्धि एवं मापीपुस्त का समय पर न भरा जाना एवं FTO समय पर नहीं करना।

आरोप सं0–3– प्रखण्ड अंतर्गत चल रही इंदिरा आवास योजना को वित्तीय वर्ष 2011 से लंबित रखना तथा वांछित सूचना/प्रतिवेदन जानबूझकर जिला मुख्यालय को नहीं भेजना।

आरोप सं0–4– उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करना, स्पष्टीकरण का ससमय जवाब नहीं देना तथा मनमानी कार्य करना एवं बैठक में अनुपस्थित रहना है।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक–5465, दिनांक 18.04.2017 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसी बीच, श्री सिन्हा के विरूद्ध पुनः ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2751, दिनांक 31.05.2017 के माध्यम से उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक–589, दिनांक 04.05.2017 द्वारा गुदड़ी प्रखण्ड के पंचायत टोमडेल, डारियो कमरोड़ा, गुलीकेरा, बीरकेल, कमरोड़ा, बान्दु अन्तर्गत योजना कार्य को ससमय पूर्ण नहीं करने संबंधी आरोप प्रपत्र–'क' में गठित कर उपलब्ध करते हुए श्री सिन्हा को निलंबित करने एवं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गई।

श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित उक्त आरोपों के लिए विभागीय आदेश सं0–7314, दिनांक 19.06.2017 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0–7449, दिनांक 22.06.2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक–338, दिनांक 29.11.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रथम प्रपत्र– 'क' में प्रतिवेदित आरोप सं0–1, 3 एवं 4 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया तथा द्वितीय प्रपत्र– 'क' में प्रतिवेदित आरोप यथा–छः लाभुकों का आवास अपूर्ण रहने एवं योजना से संबंधित साईन बोर्ड नहीं लगाये जाने संबंधी आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री सिन्हा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, **श्री संजय कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुदड़ी, प0 सिंहभूम, चाईबासा, सम्प्रति– निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(iii) के तहत् तीन वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने** का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री संजय कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

19/09/18

(अशोक कुमार खेतान)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–68/2017 का०– 7162/राँची, दिनांक 19 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अपर मुख्य सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा/उपायुक्त, प0 सिंहभूम, चाईबासा/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, चाईबासा/श्री संजय कुमार सिन्हा, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुदड़ी, प0 सिंहभूम, चाईबासा, सम्प्रति– निलंबित, मुख्यालय– प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6/अवर सचिव, प्रशाखा–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/09/18

सरकार के संयुक्त सचिव।